IN THE COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-III, GOPALGANJ

S.Tr.-71/1990
Reg. No.- 71/1990

दिनांक–

इस वाद में एक अभियुक्त है, वर्तमान सत्र वाद में L.C.R.(मूल अभिलेख) उपलबध नहीं है तथा अभिलेख पर उपलब्ध औपचारिक प्राथमिकी, फर्द बयान, आरोप पत्र अपठनीय है तथा किसी भी परिस्थिति में पढ़ा नहीं जा सकता है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा समय–समय पर अनेक पत्र संबंधित न्यायालय, को इस संबंध में निर्गत किये गये है। परंतु L.C.R.का कोई पता आज तक नहीं है। ऐसी स्थिति में न्याय प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक लंबित रखना न्यायहित में अनुचित होगा। अतः संबंधित अभिलेख को लापता अभिलेख की श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए इसे अभिलेखागार में अस्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाए। यह कार्य नियमानुसार और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्पन्न किया जाए। यदि भविष्य में उक्त अभिलेख उपलब्ध हो जाता है तो उसे तुरंत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय और अभिलेखागार के प्रभारी को भेजी जाए ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय
गोपालगंज।